राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड

राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास (अपरबेसमेन्ट), मेट्रो मास हॉस्पीटल के पास,
सेक्टर–7 शिप्रा पथ, अरावली मार्ग के सामने, मानसरोवर जयपुर
फोन एवं फैक्स नं. 0141– 2786051 (Email: rmfdcc_2000@yahoo.co.in)

परिपत्र

'निगम' के द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 58 द्वारा जिला स्तरीय चयन समितियों व राज्य स्तरीय चयन समिति को भंगकर एक ही चयन समिति का गठन किया गया है। पारित प्रस्ताव की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु पृष्ठ 1 पर अवलोकनीय है। 'निगम' द्वारा सभी जिलों को वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु ऋण वितरण के लक्ष्य आवंटित किये जा चुके है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को लक्ष्यापुर्ति हेतु निम्न निर्देश प्रदान किये जाते है:–

1. वैबपोर्टल "rmfdcc.com" के "clerical verification" पर लम्बित सभी आवेदन पत्रों व संलग्नकों की जांच करे व टिप्पणी के साथ "DMWO verification" पर अग्रेषित करें।
2. यदि आवेदन पत्र व संलग्नकों में कोई कमी हो तो उन्हें जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा कमियों को प्रदर्शित करते हुए रिजेक्ट कर दिया जावे। यह कार्य 13.11.19 तक पूर्ण कर लिया जावें।
3. "DMWO verification" में शेष रहें आवेदनों में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी या कार्यक्रम अधिकारी मौके पर जा कर निरीक्षण करें व प्रत्येक प्रकरण में निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जावें। निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ठ 2 (अ) व 2 (ब) पर संलग्न है। सभी प्रकरणों में निरीक्षण कार्य 30.11.19 तक पूर्ण कर लिया जावें।
4. निरीक्षण के समय आवेदक के साथ निरीक्षणकर्ता आवेदक के निवास/कार्य स्थल की 2 फोटों पृथक पृथक कोण में खिचवायेगें, जिसमें आवेदक का व्यवसाय स्थल व पड़ौस दृष्टिगोचर हो। उक्त फोटोग्राफ निरीक्षण रिपोर्ट के साथ संलग्न किये जावेगें। प्रत्येक फोटों के पीछे आवेदक का आवेदन आई.डी. एवं नाम भी अंकित किया जावें।
5. निरीक्षण प्रतिवेदन हिन्दी भाषा में तैयार किया गया है तथापि निरीक्षण प्रतिवेदन को भरने में कोई कठिनाई आवे तो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोबाईल नम्बर 9414333227 पर जानकारी ले सकेंगे।
6. निरीक्षण के समय जो प्रकरण ऋण दिये जाने के उपयुक्त पाये जाते है में ऋण की अभिशंषा करें व इसकी सूची परि0 3 में तैयार करें।
7. परि. 3 में वर्णित आवेदकों के आवेदन–पत्र निम्न प्रकार लगाकर इस कार्यालय को 30.11.19 तक भिजवावें:–
   i. निरीक्षण प्रतिवेदन
   ii. फोटोग्राफ–2
   iii. आवेदन पत्र

iv. निवास प्रमाण–पत्र
v. अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र
vi. आय प्रमाण–पत्र
vii. आधार कार्ड
viii. पैन कार्ड
ix. भामाशाह कार्ड

व्यवसायिक ऋण के मामलों में

x. कार्य स्थल का प्रमाण–पत्र
xi. प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र (जहॉ आवश्यक हो)
xii. अनुभव प्रमाण–पत्र (जहॉ आवश्यक हो)
xiii. परियोजना रिपोर्ट

शिक्षा ऋण के मामलों में उक्त 1 से 9 व

1. मान्यता संबंधी प्रमाण–पत्र
2. फीस स्ट्रेक्चर
3. अंतिम परीक्षा उर्त्तीर्ण की अंक तालिका
4. जमा करायी गयी फीस की रसीदे। (जहॉ आवश्यक हो)

उक्त सभी दस्तावेजों की फोटो प्रति आवेदक से स्व प्रमाणित होने चाहियें व निरीक्षण कर्ता के भी हस्ताक्षर होने चाहिये।

चयन समिति में संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को भी सदस्य बनाया गया है। अतः सभी प्रकरणों में पूर्ण जानकारी के साथ बुलाये जाने पर चयन समिति की बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरणों में तुरन्त निर्णय लिया जा सके।

किसी भी स्थिति में निर्धारित लक्ष्य से अधिक राशि के ऋण प्रस्ताव नहीं भिजवावें। यदि पोर्टल पर लम्बित सभी प्रकरण निस्तारित होने के पश्चात भी वित्तीय लक्ष्य पुरे नहीं होते है तो हस्तशिल्पियों/कामगारों/निर्माता इकाइयों के आवेदन पत्र तैयार करावें।

7.XI.19
(जमील अहमद कुरैशी)
प्रबन्ध निदेशक

कमांक प.( )/आरएमएफडीसीसी/2019–20/4334-68 दिनांक 8/11/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, समस्त।

7.XI.19
प्रबन्ध निदेशक

राजस्थान अल्पसंख्यक वित एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड

राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास (अवरबेसमेन्ट), मेट्रो मास हॉस्पीटल के पास,
सेक्टर–7 शिप्रा पथ, अरावली मार्ग के सामने, मानसरोवर जयपुर
फोन एवं फैक्स नं. 0141–2786051 (Email: rmfdcc_2000@yahoo.co.in)

कमांक प.1()आरएमएफडीसीसी / 2019–20 / 4254 दिनांकः 6/11/19

प्रस्ताव संख्या–58 दिनांक

ऋण स्वीकृति की शक्तियों का प्रत्योजन

प्रस्ताव संख्या 55 का अतिक्रमण करते हुए निगम की समस्त ऋण स्वीकृति हेतु निम्न समिति का गठन किया जाता है:–

1. प्रबन्ध निदेशक, आरएमएफडीसीसी	अध्यक्ष
2. संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग	सदस्य
3. प्रतिनिधि एसएलबीसी	सदस्य
4. सहायक प्रबन्धक सहकारिता, आरएमएफडीसीसी	सदस्य
5. संबंधित जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	सदस्य
6. प्रबन्धक वित्त, आरएमएफडीसीसी	सदस्य सचिव

निर्णय

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर के उक्त प्रस्ताव अनुसार कार्यवाही की जाये। साथ ही पांच लाख रुपये से अधिक ऋण स्वीकृति के प्रकरणों में प्रशासक महोदय से अनुमोदन अनिवार्य होगा।

प्रबन्ध निदेशक

प्रशासक

निरीक्षण प्रतिवेदन व्यावसायिक ऋण हेतु

आवेदक का आई. डी.	
आवेदक का नाम	
आवेदक के निवास का पता व जिला कार्यालय से अनुमानित दूरी	
निरीक्षण तिथि व समय	
निरीक्षक का नाम व पद	

निरीक्षण कर्ता की रिपोर्ट

1.	क्या आवेदन पत्र में वर्णित सभी तथ्यों की जाँच निरीक्षक कर्ता द्वारा कर ली गयी है, और वह सही पायी गयी है?	
2.	क्या आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर लिया है और सभी दस्तावेज सही पाए गए हैं?	
3.	ऋणी के परिवार की कुल देयताएें व आस्तियॉ	

देयताएें			आस्तियॉ		
क.सं.	विवरण	राशि	क.सं.	विवरण	राशि
1	बैंक ऋण		1	भूमि	
2	बाजार का उधार		2	भवन	
3	अन्य ऋण		3	मशीन उपकरण	
			4	वाहन	
			5	सोना चॉदी	
			6	घरेलू उपकरण	
			7	अन्य	
	योग **A**			योग **B**	

3.1	कुल साख (B-A)	
4. 4.1	क्या आवेदक वर्तमान में कोई व्यवसाय करता है यदि हाँ तो विवरण दें. विक्रय की जा रही वस्तुओं / सेवाओं के नाम/श्रेणी	
4.2	स्थापना का वर्ष	
4.3	कार्य स्थल का पता	
4.4	कार्य स्थल पर अधिकार का विवरण	पैत्रक/ पट्टा/ क्रय पत्र/ किराया नामा
4.5	गतिविधि का स्वरुप	निर्माता/ट्रेडिंग/सर्विसिंग/ पशुपालन
4.6	व्यवसाय में स्थापित वर्तमान स्थायी संपत्ति विवरण दें व वर्तमान (मूल्य हास् पश्चात्) मूल्य भी लिखें	
4.7	व्यवसाय में लगी कार्यशील पूँजी विवरण दें व मूल्य भी लिखें	
4.8	कुल निवेश (4.6 + 4.7)	

4.9	वर्तमान वार्षिक बिक्री	
4.10	वर्तमान वार्षिक शुद्ध लाभ	
5	प्रस्तावित गतिविधि का विवरण (यदि यह वर्तमान गतिविधि से प्रथक है तो कैसे? उल्लेख करें)	
5.1	प्रस्तावित विक्रय की जाने वाली वस्तुओं / सेवाओं के नाम/श्रेणी	
5.2	कार्य स्थल का पता	
5.3	कार्य स्थल पर अधिकार का विवरण	पैत्रक/ पट्टा/ क्रय पत्र/ किराया नामा
5.4	गतिविधि का स्वरुप	निर्माता/ट्रेडिंग/सर्विसिंग/ पशुपालन
5.5	प्रस्तावित नवीन स्थायी संपत्ति का विवरण दें व मूल्य भी लिखें	
5.6	वार्षिक आवृति (Recurring) व्यय	
5.7	प्रस्तावित कार्यशील पूँजी (------ दिनों का आवृति व्यय)	
5.8	कुल परियोजना लागत (5.5 + 5.7)	
5.9	वर्तमान वार्षिक बिक्री	
5.10	वर्तमान वार्षिक शुद्ध लाभ	
5.11	परियोजना विश्लेषण अ. DSCR आ. BEP इ. ROR	

आवेदक के निवास /व कार्यस्थल का निरिक्षण मेरे द्वारा किया गया. आवेदक के परिजनों, आवेदक के निवास/व कार्यस्थल का निरिक्षण मेरे द्वारा किया गया, आवेदक के परिजनों ,पड़ोसियों व आवेदक से प्राप्त जानकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के आधार पर आवेदक श्री/सुश्री/श्रीमती ------------------------------------को --------------------------गतिविधि हेतु रु.- रु.----------------स्थायी संपत्ति क्रय हेतु व रु. --------------- कार्यशील पूंजी हेतु कुल रु. ------- ------------स्वीकृति किये जाने की अभिशंषा की जाती है.

हस्ताक्षर निरीक्षणकर्ता

प्रतिहस्ताक्षर जि.अल्प.क.अ.
यदि निरीक्षणकर्ता कनिष्ठ कार्यकर्त्ता है.

संलग्न:

1. निरीक्षण के समय की 2 फोटो जिसमें आवेदक, स्थल व निरीक्षण कर्ता दिखाई दे रहा हो.
2. आवेदन पत्र की प्रति मय फोटो
3. आवेदन पत्र के साथ सलाग्न किये गए दस्तावेजों की प्रतियाँ
4. परियोजना प्रतिवेदन की प्रति

परिशिष्ठ–2 (ब)

निरीक्षण प्रतिवेदन शिक्षा ऋण हेतु

आवेदक आई. डी.	
आवेदक का नाम	
सह आवेदक का नाम व आवेदक से संबंध	
आवेदक के निवास का पता व जिला कार्यालय से अनुमानित दूरी	
निरीक्षण तिथि व समय	
निरीक्षक का नाम व पद	

निरीक्षणकर्ता की रिपोर्ट

1.	क्या आवेदन पत्र में वर्णित सभी तथ्यों की जाँच निरीक्षक कर्ता द्वारा कर ली गयी है, और वह सही पायी गयी है?	
2.	क्या आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर लिया है और सभी दस्तावेज सही पाए गए हैं?	
3.	ऋणी के परिवार की कुल देयताऐं व आस्तियॉ	

देयताऐं			आस्तियॉ		
क.सं.	विवरण	राशि	क.सं.	विवरण	राशि
1	बैंक ऋण		1	भूमि	
2	बाजार का उधार		2	भवन	
3	अन्य ऋण		3	मशीन उपकरण	
			4	वाहन	
			5	सोना चॉदी	
			6	घरेलू उपकरण	
			7	अन्य	
	योग A			योग B	

3.1	कुल साख (B-A)
4	आवेदक द्वारा 12th व आगे उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण

क्रमांक	परीक्षा	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्राप्तांकों का प्रतिशत

5	आवेदक की जन्म तिथि व आवेदन तिथि को आयु	
6	पाठ्यकम जिसके लिए ऋण चाहा गया है	
7	पाठ्यकम की अवधि (वर्षों में)	

8	**विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय का नाम**	
9	**मान्यता देने वाला संस्थान के आदेश का पत्रांक व दिनांक**	
10	पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने का दिनांक	
11	चुकायी गयी फीस का वर्णन 1. सत्र–1 वर्ष 2. सत्र–2 वर्ष 3. सत्र–3 वर्ष	
12	फीस जो चुकायी जानी है 1. सत्र 2. सत्र 3. सत्र 4. सत्र 5. सत्र	
13	पाठ्यकम कब तक पूर्ण होगा संभावित तिथि अंकित करें।	
14	पाठ्यकम पूर्ण होने पर मिलने वाला वेतन (यह भी अंकित करें कि उक्त जानकारी कैसे प्राप्त की)	

आवेदक/सहआवेदक के निवास का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया आवेदक/सहआवेदक के परिजनों, पडौसियों से प्राप्त जानकारी आवेदकों द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के आधार पर आवेदक श्री .... को .... पाठ्यकम में अध्ययन हेतु रु0 .... का ऋण निम्न प्रकार स्वीकृत किये जाने की अभिशंषा की जाती है।

क्रमाक	शैक्षिक सत्र	राशि
1		
2		
3		
4		
5		

हस्ताक्षर निरीक्षणकर्ता

प्रतिहस्ताक्षर जि.अल्प.क.अ.
यदि निरीक्षणकर्ता कनिष्ठ कार्यकर्ता है
संलग्नः–

1. निरीक्षण के समय की 2 फोटो
2. आवेदन पत्र की प्रति व
3. संलग्न दस्तावेज की प्रतियां
4. जमा करायी गयी फीस की (सीधे की प्रतियॉ)

पृ० 3 (35)

Rajasthan Minority Finance & Development Cooperative Corporation, Jaipur — Agenda

Note for the Selection Committee meeting to be held on -----------------------

List of Online Complete Applications Received for Business Loan

App Id	Name	Father Name	Husband Name	Address	Comm unity	Gender	Aadhar No	Age	Edu. Quali.	Pro. Quali.	Credit Line	Fixed Cost	Work. Cap.	Total	Sanc. Amount

Rajasthan Minority Finance & Development Cooperative Corporation, Jaipur

Agenda Note for the Selection Committee meeting to be held on ----------------------

List of Applications receieved for Education Loan

परि. 3 'ब'

App Id	Name	Father Name	Co-Borrower's Name	Address	Community	Gender	Course	College/University	Aadhar No	Age	Credit Line	Total	Sanc. Amount